बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

पटना, दिनांक..................../2018

अधिसूचना

संख्या 15/एम 1–44/2015 ..../ बिहार राज्य के कटिहार में निजी क्षेत्र में अल–करीम विश्वविद्यालय, कटिहार की स्थापना हेतु प्रायोजक निकाय अल–करीम एजुकेशनल ट्रस्ट से प्राप्त प्रस्ताव/परियोजना प्रतिवेदन की बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 की धारा 4 के अधीन समीक्षोपरांत एवं राज्य सरकार के स्तर से विश्वविद्यालय स्थापना हेतु निर्गत किए गए आशय पत्र में निहित शर्त्तों के अनुपालन की सम्यक् जाँचोपरांत बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 की धारा 6 के तहत अल–करीम एजुकेशनल ट्रस्ट को बिहार राज्य के कटिहार में निजी क्षेत्र में अल–करीम विश्वविद्यालय, कटिहार के नाम से विश्वविद्यालय की स्थापना एवं इसके कार्य संचालन की अनुमति प्रदान की जाती है। इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

यह विश्वविद्यालय अल–करीम विश्वविद्यालय, कटिहार के नाम से एक निगमित निकाय होगा और इसका शाश्वत उतराधिकार एवं सामान्य मुहर (सील) होगी। इसे चल और अचल दोनों प्रकार की सम्पति अर्जित करने तथा धारण करने और संविदा करने की शक्ति होगी तथा यह उक्त नाम से वाद ला सकेगा एवं इसपर वाद चलाया जा सकेगा।

यह विश्वविद्यालय स्ववित्त पोषित होगा और राज्य सरकार से किसी तरह के अनुदान अथवा आर्थिक सहायता प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

इस विश्वविद्यालय का संचालन पूर्णतः बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 में वर्णित प्रावधानों का अनुपालन करते हुए किया जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(मनोज कुमार)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक 15/एम 1–44/2015 पटना, दिनांक /2018

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार को राजकीय गजट में प्रकाशित करने हेतु अनुरोध के साथ प्रेषित।

ह0/–
(मनोज कुमार)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक 15/एम 1–44/2015 पटना, दिनांक /2018

प्रतिलिपि :– श्री अहमद अशफाक करीम, अध्यक्ष, अल–करीम एजुकेशनल ट्रस्ट, फ्लैट न0– 304, कामिनी संजय मैनसन, अशियाना रोड, पटना– 14 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(मनोज कुमार)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक 15/एम 1–44/2015 1065 पटना, दिनांक 15/6/2018

प्रतिलिपि :– महामहिम राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली/सचिव/सदस्य सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/भारतीय चिकित्सा परिषद्/भारतीय फार्मेसी परिषद्/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्/बार कॉसिंल ऑफ इण्डिया/कॉसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, भारतीय विधिक परिषद्/कृषि अनुसंधान परिषद्/सी0एस0आई0आर0/राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलसचिव एवं भारत सरकार के विभिन्न प्रकार के शिक्षा प्रदान करने हेतु गठित नियामक निकायों के सचिव/सदस्य सचिव एवं विभागीय आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/6/18
(मनोज कुमार)
सरकार के अपर सचिव